



UPEW010020162026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah
पीठासीन अधिकारी- (Sri Ankur Sharma), (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code- UP01632)

Bail Application 626/2026

आसिफ खान उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र अनीस खाँ निवासी मुहल्ला-बराही टोला
थाना कोतवाली जनपद-इटावा।

..... आवेदक/अभियुक्त

-प्रति-

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....विपक्षी।

अपराध संख्या-192/2025

धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2),

3(5) भारतीय न्याय संहिता

थाना-कोतवाली, जिला-इटावा।

दिनांक: 10.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से मु०अ०सं०-192/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना-कोतवाली, जिला-इटावा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा राकेश कुमार सहायक आयुक्त राज्य कर खण्ड-1 इटावा द्वारा थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दी गयी तहरीर इस प्रकार है कि पत्रांक 194 /एफआईआर-बोगस फर्म/उपाराक खण्ड-1, इटावा / दिनांक 11.08.25 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत इस खण्ड के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत फर्म सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन जीएसटीएन 09BKNPG4230N2ZS फर्म विभाग में दिनांक 01.05.2022 से पंजीकृत है तथा फर्म का पंजीयन दिनांक 12.06.2023 से निरस्त किया जा चुका है। पंजीयन प्रपत्रों के आधार पर पंजीकृत व्यक्ति का नाम श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1 दावग्राम, इटावा पिन-206001 है जो इस व्यक्ति के आधार कार्ड पर अंकित है। सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन (प्रान्तीय क्षेत्राधिकार) पंजीकृत है तथा फर्म का पंजीयन दिनांक 12.06.2023 से निरस्त किया जा चुका है। फर्म द्वारा वर्ष 2022-23 दिल्ली

स्थित फर्म सर्वश्री बालाजी टिम्बर इन्टरप्राइजेज जीएसटीएन 07CJKPB6350B1ZM से रु0 32642003.74 की इनवार्ड प्राप्त करते हुए रु0 6469604.00 की आईटीसी अर्जित की गयी है, जबकि सर्वश्री श्री बालाजी टिम्बर एण्टरप्राइजेज का संगत वर्ष में GSTR-2A (इनवार्ड सप्लाई) निल पाया गया तथा फर्म का पंजीयन पंजीयन दिनांक से निरस्त किया गया है। इसी प्रकार सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन द्वारा सर्वश्री आकृष्टी कम्प्यूनिकेशन जीएसटीएन 09HYZPS0015P1ZC से रु0 26354383.00 की इनवार्ड आपूर्ति प्राप्त करते हुए एसजीएसटी रु0 2697047.87 तथा सीजीएसटी रु0 2697047.87 की आईटीसी अर्जित की गयी है, जबकि सर्वश्री आकृष्टी कम्प्यूनिकेशन का भी संगत वर्ष में GSTR-2A (इनवार्ड सप्लाई) निल पाया गया तथा दिनांक 01.07.2024 से निरस्त कर दी गयी है। सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन पर धारा-74A (9) में डीआरसी-01ए सन्दर्भ संख्या ZD090825015240M दिनांक 02.08.2025 को जारी कर दिया गया है। पोर्टल पर उक्त बोगस फर्मों की खरीद बिक्री के आँकड़े असत्यापित हैं। इस प्रकार सर्वश्री आदित्य कन्सट्रक्शन जीएसटीएन 09BKNPG-4230N2ZS द्वारा बोगस फर्मों से बिना माल की वास्तविक खरीद के क्रमशः रु 11863699.74 की बोगस आईटीसी अर्जित करते हुए उसकी वास्तविक बिक्री किये बिना फेक टैक्स इनवायस जारी करते हुए आईटीसी पासऑन की गयी है, जिससे कि उग्र माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-132 के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य करते हुए कुल रु0 11863699.74 की राजस्व क्षति की गयी है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336 (3), 338, 340(2), 3 (5) एवं 61(2) के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। उपरोक्त के सन्दर्भ में नितिन गुप्ता पुत्र श्री हरिओम गुप्ता निवासी 41/1, दावग्राम, इटावा के विरुद्ध करापवंबन के उद्देश्य से पंजीयन प्राप्त किये जाने तथा रु0 11863699.74 का करापवंचन किये जाने हेतु भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह कि आरोपित अपराध में आवेदक पूर्णतया निर्दोष है, उसके द्वारा आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है। मनगढन्त तथ्य रखते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। प्रार्थी उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है थाना पुलिस ने प्रकाश में लाकर उक्त वाद में प्रार्थी को संलिप्त किया है। उक्त वाद में वर्णित घटना से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के नाम पर कुछ भी नहीं है और न ही प्रार्थी सहअभियुक्त को जानता है प्रार्थी को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उपरोक्त मामले मे संलिप्त किया गया है जब कि सहअभियुक्तों की गिरफ्तारी 2 माह पूर्व

हुई थी 2 महीने पश्चात प्रार्थी को संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है सिर्फ द्वेष भावना से प्रार्थी का नाम संलिप्त किया गया है। कि प्रार्थी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई विशेष कानून है तो सामान्यतः विशेष कानून सामान्य कानून पर अधिभावी होता है यदि अपराध पूरी तरह से विशेष कानून के अन्तर्गत आता है। आरोपित अपराध के विवेचक ने जो साक्ष्य संकलित है वह वस्तु एवं सेवाकर से सम्बन्धित है कर चोरी जारी बिल या इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 132 के अधीन मुकदमा चलाये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी का नाम विवेचना में बढ़ाने का विवेचक के पास कोई भी ठोस व पर्याप्त आधार नहीं है क्यो कि सभी सहअभियुक्तों की गिरफ्तारी 2 माह पूर्व हो चुकी है सभी साक्षी अभियुक्तों के बयान भी हो चुके हैं फिर अब किस आधार पर प्रार्थी के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है व जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा व विवेचना व विचरण में सहयोग करेगा। प्रार्थी दिनांक 04.02.2026 से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही सजायाफ्ता व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय का निरस्तीकरण दिनांक 30.03.2026 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने इससे पूर्व इस न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो अपना प्रतिभू प्रार्थना पत्र दिया, न खारिज हुआ और न विचाराधीन है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जनता के लोगो को धोखा देकर उनके प्रपत्र प्राप्त करके उक्त प्रपत्रों के आधार पर धोखाधड़ी एवं कूटरचना करके फर्जी फर्म बनाकर उक्त फर्म से फर्जी इनवायस (Invoice) व दस्तावेज जारी करके आर्थिक अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को

दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित नहीं है।
अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आसिफ खान की ओर से मु०अ०सं०-
192/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय
संहिता थाना-कोतवाली, जिला-इटावा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र सं०
626/2026 निरस्त किया जाता है।

सम्बन्धित सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह
जमानत आदेश की प्रति जिला कारागार इटावा को ज़रिए ई-मेल एवं BOMS
से प्रेषित करें।

(अंकुर शर्मा)

विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.)/अपर

सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, इटावा।

J.O. CODE : UP01632